UPBN010054472021

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट, बदायूॅ

उपस्थितः दिनेश तिवारी, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सेशन वाद संख्याः 827/2021

राज्य बनाम नरेश कुमार पुत्र हेमराज जाटव
निवासी ग्राम खौसारा थाना बिल्सी
जिला बदायूॅ।
मु0अ0सं0ः 302/2021
धाराः 363, 376 भा0दं0सं0
व 3/4 पाक्सो एक्ट
थानाः बिल्सी, जिला बदायूॅ

निर्णय

1. पुलिस थाना बिल्सी जिला बदायूॅ द्वारा मुकदमा अपराध सं0ः 302/2021 में अभियुक्त नरेश कुमार के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363, 376 भा0दं0सं0 एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के आधार पर अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा दिनांक 16.07.21 को थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 15.07.21 को समय लगभग 2.30 बजे दिन प्रार्थी की लडकी पीडिता उम्र लगभग 17 वर्ष को प्रार्थी के ही गांव का नरेश अपने भाई राजकुमार की मदद से बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। इधर उधर तलाशने पर पता नहीं लग रहा है। अतः जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3. वादी की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना बिल्सी जिला बदायूॅ पर दिनॉक 16.07.21 को 19.00 बजे अभियुक्तगण नरेश एवं राजकुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0 302/2021 धारा 363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत मामला पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये। पीड़िता को बरामद कर फर्द बरामदगी तैयार की गयी तथा उसका बयान अंकित किया गया तथा उसका मेडीकल कराया। घटनास्थल का निरीक्षण कर मानचित्र तैयार किया गया। तमामी विवेचना के उपरान्त राजकुमार की नामजदगी झूठी पाते हुए अभियुक्त नरेश कुमार के विरूद्ध धारा 363, 376 भा0दं0सं0 एवं 3/4

पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर उसे अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं। उभय पक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नरेश कुमार के विरूद्ध धारा 363, 376 भा0दं0सं0 एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के अर्न्तगत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की।

5. अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है–

अभियोजन साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रप़त्र
1.	पीड़िता	164 दं0प्र0सं0 के बयान प्रदर्श क–1
2.	वादी मुकदमा	तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श क–2
3.	हेड मो0 गंगा सिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3, कायमी जी0डी प्रदर्श क–4
4.	डॉ0 पारूल सिंह	चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–5
5.	अनिल कुमार राणा–उपनिरीक्षक	नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 व आरोप पत्र प्रदर्श क–7, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–8
6.	विमलेश कुमारी–प्रधानाध्यापक	आयु प्रमाण पत्र प्रदर्श क–8ए, टी0सी0 की छाया प्रति प्रदर्श क–9
7.	डॉ0 सुशील कुमार	आयु निर्धारण प्रमाण पत्र प्रदर्श क–10, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–11
8.	पीडिता की मां	तथ्य की साक्षी

6. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अर्न्तगत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा गलत फहमी के कारण झूठा मुकदमा चलाये गये होना कहा है। अभियुक्त ने यह भी कहा है कि मैं निर्दोष हूॅ। बिना जानकारी के झूठा मुकदमा गलत फहमी में चलाया गया है। अभियुक्त

की ओर से बचाव में साक्ष्य देने का कथन किया गया परन्तु अवसर दिये जाने के बाद भी कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित पी0डब्लू0 1 पीडिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि करीब आठ–नौ महीना पहले दिनांक 15.07.21 समय ढाई बजे दिन मैं गुदनी बैंक में गयी थी। रास्ते में लौटते समय नरेश ने मुझे जबरदस्ती खींच कर बस में बैठा लिया। मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो रूमाल से मुंह बन्द कर दिया। मैं बेहोशी की हालत में आ गयी। वह मुझे पंजाब ले गया। नरेश के साथ उसका भाई राजकुमार भी था। नरेश ने वहां अपनी बहन की ननद के घर पंजाब ले जाकर रखा। बहन की ननद का नाम व जगह का नाम नहीं पता। वहां मुझे कमरे में रखा। वहां मुझे होश आ गया। सोलह तारीख की रात को नरेश ने मेरे साथ गलत काम किया। जबरदस्ती पति पत्नी वाले संबंध बनाये। मैं चीखी चिल्लाई लेकिन कोई मदद को नहीं आया। मैंने धक्का दिया फिर भी नहीं माना। मेरे कोई चोट नहीं आयी। खून निकला था। कपडे खराब हुए। मुझे वहां नरेश ने तीन दिन तक उसी कमरे में बन्द रखा और कईबार गलत काम किया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे मां बाप ने नरेश के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है। तब नरेश मुझे थाना बिल्सी के बाहर छोड गया। मेरे मम्मी पापा थाने पर आये। मैंने अपने साथ घटी घटना अपने माता पिता व पुलिस को बतायी। पुलिस मुझे लेकर बदायॅू आयी। मेरा डाक्टरी मुआयना हुआ। इसके बाद पुलिस मुझे बयान कराने अदालत ले आयी। मेरा जज साहब के सामने बयान लिया गया। मु0अ0सं0 302/21 थाना बिल्सी अन्तर्गत धारा 363, 376 भा0दं0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 का सील कवर लिफाफा न्यायालय की अनुमति से खोलकर बयान साक्षी को दिखाया व पढकर सुनाया तो उसने कहा कि इस पर लगा फोटो व हस्ताक्षर मेरा ही है। बयान में जो लिखा है वह दरोगा जी के बताये अनुसार कहा था। बयान पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने मुझसे कहा था कि अगर हमारे अनुसार बयान नहीं दिया तो तेरे मम्मी पापा को जेल भेज देंगे। दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिये। यदि दरोगा जी ने मेरे कोई बयान लिखे हैं तो अपनी मर्जी से लिखे है। मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिये। मैं नरेश के साथ अपनी मर्जी से नहीं गयी थी। नरेश मुझे बिना मेरी मर्जी के लेकर गया था।

9. पी0डब्लू0 2 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि अब से नौ महीने पहले दिनांक 15.07.21 को लगभग ढाई बजे मैं अपने खेत पर था। मेरी लडकी पीडिता गुधनी गयी थी। रास्ते में मेरे गांव का ही रहने वाला नरेश व राजकुमार बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। खेत से वापस आने पर जब मेरी लडकी वापस नहीं

आयी। तब मैंने उसे तलाश किया। तब गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी लडकी को नरेश व राजकुमार के साथ देखा है। मैंने नरेश के घर जाकर मालूमात की, नहीं मिला। तब मैंने अगले दिन थाने जाकर तहरीर दी। तहरीर मैंने वहीं मौजूद व्यक्ति से लिखायी थी। नाम नहीं पता। पत्रावली में कागज सं0 5क देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जिस पर मेरा निशानी अंगूठा है। उस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। लगभग 8–10 दिन बाद मेरी लडकी मुझे थाने में मिली। तब उसने मुझे सारी बात बतायी। पुलिस वाले मेरे घर आये और मेरे बयान लिये गये। मैं पढा लिखा नहीं हूँ।

10. पी0डब्लू0 3 हेड मो0 गंगा सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने साक्ष्य के माध्यम से मामले की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 तथा खुलासा कायमी जी0डी0 प्रदर्श को क–4 के रूप में साबित किया है।

11. पी0डब्लू0 4 डॉ0 पारूल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 20.07.21 को पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कर रिपोर्ट अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करना कहते हुए उसे प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने यह कहा है कि परीक्षण के समय पीडिता की मानसिक दशा सामान्य पायी गयी। नाडी की गति 76 प्रति मिनट, रक्तचाप 116/78, ऊंचाई 142 से0मी0, वजन 36.3 किलोग्राम पाया गया। दांत 14/13 एवं कांख व गुप्तांग के बाल विकसित थे। स्तन विकसित थे। पीडिता ने अपने कपडे बदल लिये थे तथा स्नान कर लिया था। बाहय परीक्षण में पीडिता के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी। पीडिता के आन्तरिक परीक्षण में कोई चोट नहीं पायी गयी। हाईमन पुराना फटा किनारे भरे हुए पाये गये। आयु निर्धारण के लिये एक्सरे की सलाह दी गयी। घटना के बावत पूछने पर पीडिता ने बताया कि दिनांक 15.07.21 को 2.30 बजे दिन में अकेले अपने घर से निकली थी। गुदनी से बस पकडी और पंजाब पहुंच गये। वहां पर नरेश मिला। फिर हम दोनों 5 दिन तक होटल में पति पत्नी की तरह रहे और सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ। दिनांक 19.07.21 को वापस बिल्सी आ गयी।

12. पी0डब्लू0 5 अनिल कुमार राणा उपनिरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने साक्ष्य के माध्यम से नक्शानजरी को प्रदर्श क–6 व अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र को प्रदर्श क–7 तथा फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–8 के रूप में के रूप में साबित किया है।

13. पी0डब्लू0 6 श्रीमती विमलेश कुमारी प्रधानाध्यापक ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने साक्ष्य के माध्यम से पीडिता के आयु प्रमाण पत्र को प्रदर्श क–8ए, जन्मतिथि प्रमाण पत्र को प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है और यह कहा है कि विद्यालय के प्रवेश पंजिका रजिस्टर के क्रमांक 727 पर छात्रा का नाम अंकित है। विद्यालय अभिलेखों अनुसार पीडिता ने दिनांक 20.07.10 को इस विद्यालय में कक्षा–1 में प्रवेश प्राप्त किया था तथा उसने दिनांक 31.03.16 को इस विद्यालय से कक्षा–5 उत्तीर्ण किया। विद्यालय अभिलेखों में पीडिता की जन्मतिथि दि0 12.07.04 अंकित है।

14. पी0डब्लू0 7 डॉ0 मंजीत सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने साक्ष्य के माध्यम से आयु निर्धारण प्रमाण पत्र को प्रदर्श क–10 तथा एक्सरे रिपोर्ट को प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया है और सामान्य अवलोकन व एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर पीडिता की आयु लगभग 16 वर्ष निर्धारित किये गये होना बताया है।

15. पी0डब्लू0 8 पीडिता की मां ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि लगभग पांच वर्ष पहले की बात है। मेरी पुत्री पीडिता उम्र लगभग 17 वर्ष को गांव का ही नरेश और राजकुमार दोनों भाई बहला फुसलाकर ले गये थे। उस समय मैं अपने पति के संग खेत पर काम कर रही थी। शाम को जब हम घर लौटकर आये तब हमें इस बात का पता चला। तब इस बात की रपट लिखाने मैं पति के साथ थाने गयी। रपट मेरे पति ने लिखायी थी। रपट लिखने के बाद पुलिस ने हमसे पूछताछ की थी। रपट लिखने के दस बारह दिन के बाद मेरी पुत्री मिली। जब मेरी पुत्री मिली तो उसने बताया कि उसे गांव के ही नरेश व राजकुमार बहला फुसलाकर ले गये थे और दोनों ने ही उसके साथ गलत काम बलात्कार किया था। मैं अपनी लडकी का विद्यालय में दाखिला कराने गयी थी। मैंने उसकी जन्मतिथि सही लिखायी थी। वह वर्ष 2004 में पैदा हुयी थी। अब बहुत पुरानी बात हो गयी है इसलिये मुझे महीना व दिन याद नहीं है। दाखिले के समय मुझे महीना और तारीख याद थी। जब मैंने अपनी लडकी का स्कूल में दाखिला कराया था तो उसकी आयु लगभग 06 वर्ष थी।

16. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो अधिनियम) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मामला भली भॉति साबित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध मामला संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामला साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

<u>निष्कर्ष</u>

18. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त नरेश कुमार पर धारा 363, 376 भा0दं0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट का आरोप है।

19. अभियुक्त पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि घटना की रिपोर्ट उसी दिन न लिखाकर अगले दिन लिखायी गयी है और पीडिता को अभियुक्त के साथ देखने के संबंध में कोई गवाह परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही पीडिता अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुयी है और मामला केवल पीडिता के साक्ष्य पर आधारित है। पीडिता ने न्यायालय से पहले दिये गये बयानों से भिन्न बयान न्यायालय में दिया है। पीडिता के साथ बल प्रयोग किये गये होने या उसे व्यपहरण कर ले जाने का साक्ष्य नहीं है। जब

नरेश के द्वारा थाने पर छोडा गया तो इसकी कोई शिकायत थाने पर नहीं की गयी है। पीडिता की आयु के संबंध में कोई हाईस्कूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है। प्रधानाचार्य ने यह स्वीकार किया है कि रजिस्टर में सफेदा लगा हुआ है तथा जन्मतिथि का कोई आधार नहीं दर्शाया गया है। चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर पीडिता के 18 वर्ष की आयु के रहे होने की स्पष्ट संभावना दर्शायी गयी है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू0 1 के रूप में परीक्षित पीडिता ने न्यायालय में दिये गये अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का समर्थन करते हुए घटना वाले दिन दिनांक 15.07.21 को दोपहर में अभियुक्त नरेश द्वारा उसे बस में बैठाकर पंजाब ले जाने और वहां अपनी बहन के घर कमरे में रखकर जबरन गलत काम करने, पति पत्नी वाले संबंध कईबार बनाने का कथन किया है और यह कहा है कि रिपोर्ट लिखाने की बात पता चलने पर नरेश थाना बिल्सी के बाहर छोड गया। धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान खोलकर दिखाये जाने पर पीडिता ने कहा है कि यह बयान मैंने दरोगा जी के बताये अनुसार दिया था और उन्होंने कहा था कि यदि हमारे अनुसार बयान नहीं दिये तो तेरे मम्मी पापा को जेल भेज देंगे। आगे पीडिता ने यह भी कथन किया है कि दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। अगर उन्होने कोई बयान लिखा है तो अपनी मर्जी से लिखा है। मैं नरेश के साथ अपनी मर्जी से नहीं गयी थी। नरेश के साथ फोन पर बातचीत होने की बात दरोगा जी के दबाव में कही थी। पंजाब ले जाते समय रास्ते में मैने शोर शराबा नहीं किया क्योंकि नरेश ने मेरे मुंह पर रूमाल रख दिया था और कन्डक्टर को पैसे दे दिये थे। सवारियों ने भी हमारी मदद नहीं की थी। कई लोगों व पुलिस वालों ने देखा था लेकिन मेरी कोई मदद नहीं की थी। मुझे पुलिस वाले लेकर नहीं आये थे। नरेश थाने पर छोड गया था। मैंने पुलिस वालों से उसकी शिकायत नहीं की थी केवल घर वालों को बुलवाया था। मम्मी पापा ने मुझे थाने पर कुछ नहीं कहा था। पापा ने बताया था कि भगाने की एफ आई आर नरेश के खिलाफ लिखायी है। मां बाप ने मुझसे नहीं कहा कि हमारे हिसाब से बयान करना। नरेश द्वारा भगाकर ले जाने और मेरे साथ जबरन बलात्कार करने की बात आज न्यायालय में पहली बार बतायी है इससे पहले किसी ने नहीं पूछा। दरोगा जी द्वारा धमकाने की बात आज न्यायालय मे पहली बार बता रही हॅू। मुझे पंजाब में जिस जगह रखा था वहां की कोई चौहद्दी हुलिया नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय बालिग हॅू और अपनी मर्जी से घर छोड कर गयी हॅू। नरेश के साथ मेरी कोई शादी नहीं हुयी और न ही कभी नरेश या उसके घरवालों से शादी की बातचीत हुयी। यह कहना गलत है कि मैं स्वयं पंजाब गयी और नरेश को फोन करके बुलवाया।

21. पी0डब्लू0 2 पीडिता के पिता ने घटना वाले दिन, दिन में अपने खेत पर रहने के

दौरान अपनी लडकी पीडिता के गुधनी गये होने के समय अभियुक्त नरेश द्वारा उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने और तलाश करने पर गांव वालों द्वारा नरेश के साथ जाने की बात बताये गये होने का कथन किया है और यह कहा है कि नरेश के घर जाने पर वह नहीं मिला तो उसने रिपोर्ट लिखायी थी। जब मेरी लडकी गयी उस समय मैं खेत पर था। लडकी घर से गयी थी। मैं पढा लिखा नहीं हूँ। यह कहना गलत है कि घटना के समय लडकी उम्र 18 साल से अधिक हो और वह अपनी इच्छा से घर से गयी हो तथा मैंने बदनामी से बचने के लिये नरेश के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया हो।

22. पी0डब्लू0 8 पीडिता की मां ने घटना वाले दिन अभियुक्त नरेश द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने और शाम को पति के संग खेत से लौटने पर इस बात का पता चलने पर रिपोर्ट लिखाने की बात कही है और यह कहा है कि जब लडकी मिली तो उसने मुझे बताया कि अभियुक्त उसे मिला और उसे बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था। मैंने कोई घटना अपनी आंखों से नहीं देखी कि लडकी किस के साथ गयी थी। दरोगा जी ने मेरा कभी कोई बयान नहीं लिया अगर उन्होंने मेरा धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान लिखा है तो कैसे लिख लिया मैं वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि पीडिता की मां होने के कारण न्यायालय में झूठा बयान दे रही हूँ।

23. पत्रावली पर परीक्षित तथ्य के उपरोक्त तीनों साक्षियों ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक की पुष्टि व समर्थन करते हुए आरोपित अभियुक्त द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके बलात्कार/लैंगिक प्रवेशन हमला किये गये होने का स्पष्ट कथन किया है। अभियुक्त पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए गलत फहमी में झूठा मुकदमा बिना जानकारी के लिखाये गये होने की बात कही गयी है परन्तु अभियोजन के उपरोक्त उल्लिखित स्पष्ट साक्ष्य के खंडन में कोई भी सफाई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस बात का कोई समुचित व पर्याप्त कारण दर्शित किया गया है कि पीडिता द्वारा अकारण उसे अपने साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके बलात्कार किये जाने के आरोप में झूठा क्यों फंसाया जायेगा। जबकि पीडिता और अभियुक्त दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। अभियुक्त पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्षी गांव का या कोई अन्य साक्षी परीक्षित नहीं है जिसके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पीडिता को नहीं ले गया था और उसके साथ आरोपित घटना कारित नहीं की गयी थी। सामान्य भारतीय ग्रामीण परिवेश में वादी द्वारा अपनी पुत्री के साथ बलात्कार जैसा जघन्य व सामाजिक दृष्टि से अस्वीकार्य अपराध किये जाने का आरोप अकारण ही नहीं लगाया जायेगा, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राधाकृष्ण नागेश बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2013 (2) सी सी एस सी 1105** में अवधारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की यह सुस्थापित विधि है कि यदि पीडिता का बयान स्पष्ट और

विश्वसनीय पाया जाता है तो एक मात्र उसके बयान के आधार पर भी अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है।

24. पीडिता ने न्यायालय में दिये गये बयानों से पूर्व पुलिस को तथा मजिस्ट्रेट के सामने अंकित बयानों में भी अभियुक्त नरेश के साथ ही जाकर शारीरिक संबंध आदि बनाये गये होने का कथन किया है। यद्यपि उक्त बयानों में अभियुक्त नरेश की संलिप्तता पीडिता को घर से बहला फुसलाकर ले गये होने में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी गयी है, परन्तु पीडिता ने अपने न्यायालय में दिये गये बयानों में यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि उसने दबाव में उक्त पूर्ववर्ती बयान दिये थे। अभियुक्त पक्ष की ओर से इसका कोई समुचित खंडन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है और न ही उक्त तीनों तथ्य के साक्षियों से की गयी जिरह में ही ऐसा कोई संदेहास्पद तथ्य प्रदर्शित किया जा सका है जो उक्त तीनों साक्षियों के बयानों को अविश्वसनीय बनाता हो या अभियुक्त की घटना में संलिप्तता न रहे होने का स्पष्ट संकेत करता हो। अतः पीडिता द्वारा दिये गये स्पष्ट बयान को दृष्टिगत रखते हुए कोई स्वतन्त्र या सम्पुष्टि साक्षी प्रकरण में परीक्षित न होने मात्र के आधार पर अभियोजन कथानक के संदेहास्पद होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षित विवेचक पी0डब्लू0 5 ने भी विवेचना के उपरान्त अभियुक्त नरेश के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करना बताया है और सह अभियुक्त नरेश के भाई राजकुमार की संलिप्तता न पाते हुए उसका नाम विवेचना से पृथक किये जाने का कथन किया है। उक्त साक्षी से की गयी जिरह में भी अभियुक्त को झूठा संलिप्त किये गये होने का कोई तथ्य प्रदर्शित नहीं किया जा सका है। वादी द्वारा मामले की रिपोर्ट घ टना वाले दिन खेत से लौटने पर पता चलने पर, अगले ही दिन थाने में लिखा दी थी। अतः वादी के ग्रामीण परिवेश तथा मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रिपोर्ट कराने में हुए विलम्ब को असामान्य या अनुचित नहीं माना जा सकता है।

26. जहां तक उक्त घटना में पीडिता के शरीर पर कोई चोटे आदि आये होने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय में दिये गये बयान में स्वयं पीडिता ने अपनी जिरह में यह कहा है कि घटनाक्रम में मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं आयी। जोर जबरदस्ती करने पर मैंने नरेश को कोई चोट नहीं पहुंचायी। मेरे भी चोट नहीं लगी थी। पी0डब्लू0 4 पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाली डाक्टर ने दिनांक 20.07.21 को पीडिता के चिकित्सीय परीक्षण में कोई बाहय या आन्तरिक चोटे न पाये गये होने का कथन किया है और यह कहा है कि पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में कोई राय नहीं दी गयी है तथा हाईमन पुराना फटा और भरा हुआ पाया गया है। इस संबंध में पीडिता के शरीर पर कोई चोटे न पाये गये होने मात्र के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक और पीडिता के स्पष्ट साक्ष्य को अविश्वसनीय होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि स्वयं

पीडिता ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि उक्त घटनाक्रम के दौरान उसे कोई चोटें नहीं आयी थी। यह सुस्थापित विधि है कि केवल चोटें न पाये जाने मात्र के आधार पर बलात्कार न हुए होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य (1998) 8 एस0सी0सी0 635** में तथा **वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 2 एस0सी0सी0 9** में अवधारित किया गया है।

27. जहां तक घटना के समय पीडिता की आयु का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली पर परीक्षित पी0डब्लू0 6 श्रीमती विमलेश कुमारी प्रधानाध्यापक ने दिनांक 20.07.10 को कक्षा–1 में पीडिता का प्रवेश अपने द्वारा लिये गये होने का कथन किया है और उसकी जन्मतिथि अभिलेखों के अनुसार दिनांक 12.07.2004 होना बताया है। अपनी जिरह में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कोई अभिलेख पीडिता की जन्मतिथि के संबंध में नहीं दिया गया था और अभिलेख में पृष्ठ क्रम सं0–1 से 4 तक गायब है और कक्षा–5 उत्तीर्ण होने की प्रविष्टि में सफेदा लगाकर ओवरराइटिंग है जिस पर कोई दस्तखत नहीं है। परन्तु इस साक्षी ने पीडिता के अपने विद्यालय में न पढे होने और उसके नाम की प्रविष्टि मुकदमा होने के बाद कराये गये होने की बात को स्पष्ट रूप से गलत बताया है। पी0डब्लू0 2 वादी मुकदमा ने अपने बयान में पीडिता का दाखिल अपनी पत्नी द्वारा कराये गये होने का कथन किया है और वादी की पत्नी पी0डब्लू0 8 ने अपने बयान में यह कहा है कि लडकी का दाखिल कराने मैं गयी थी। उसकी सही जन्मतिथि लिखायी थी। वह वर्ष 2004 में पैदा हुयी थी। बात पुरानी हो गयी है इसलिये मुझे दिन महीना याद नहीं है। दाखिला के समय उसकी आयु करीब 6 वर्ष थी। अपनी जिरह में पी0डब्लू0 8 ने कहा है कि मेरे पास किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। दाखिले के समय जन्मतिथि कैसे लिखी गयी मुझे याद नहीं है। 6 साल की आयु किस वर्ष में अंकित करायी थी मुझे याद नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने पीडिता का दाखिला कराये गये होने से करीब 15 वर्ष बीत जाने के कारण उसकी जन्मतिथि व महीना याद न होने का कथन किया है परन्तु उसने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि पीडिता वर्ष 2004 में पैदा हुयी थी तथा प्रधानाध्यापक पी0डब्लू0 6 द्वारा स्वयं पीडिता का दाखिला अपने द्वारा विद्यालय में लिये गये होने का स्पष्ट कथन किया गया है और पीडिता का दाखिला घटना से काफी समय पूर्व कराया गया है। साथ ही अभियुक्त पक्ष की ओर से इसके खंडन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिसके आधार पर उक्त साक्ष्य के अविश्वसनीय या फर्जी होने का निष्कर्ष निकाला जा सके।

28. पी0डब्लू0 7 पीडिता का आयु संबंधी चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डाक्टर सुशील कुमार ने भी पीडिता की आयु 16 वर्ष निर्धारित किये गये होना और उसमें 6 माह का अन्तर संभव होना बताया है। इस प्रकार सुस्थापित विधिक स्थिति के अनुसार पीडिता

के शैक्षणिक प्रपत्रों को वरीयता दिये जाने पर उसमें अंकित आयु के अनुसार घटना के समय पीडिता की आयु लगभग 17वर्ष रहे होना पाया जाता है। इस प्रकार पीडिता घटना के समय स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग रहे होना प्रदर्शित है जिसके साथ अभियुक्त नरेश द्वारा अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाकर शारीरिक संबंध स्थापित करके बलात्कार/लैंगिक प्रवेशन हमले का अपराध कारित किये गये होना उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट रूप से सिद्ध व प्रदर्शित किये गये होना पाया गया है। धारा 375 भा0दं0सं0 के छठवें खन्ड के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लडकी के साथ उसकी सहमति या असहमति से शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने का कृत्य स्पष्ट रूप से बलात्कार की श्रेणी में आयेगा।

29. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त नरेश द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके बलात्कार/लैंगिक प्रवेशन हमले का अपराध कारित किया गया है और इसका कोई भी समुचित खंडन अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अतः अभियुक्त नरेश कुमार तदनुसार आरोप अन्तर्गत धारा 363, 376(1) भा0दं0सं0 व धारा 3/4(1) पाक्सो एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त नरेश कुमार को धारा 363, 376(1) भा0दं0सं0 एवं 3/4(1) पाक्सो एक्ट के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त नरेश कुमार जमानत पर है। उसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्त उपरोक्त के जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

दिनॉकः 29.05.2026

(दिनेश तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
बदायूँ
(I.D No.–U.P.6188)

पत्रावली पुनः प्रस्तुत

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पुनः पेश हुयी। दोषसिद्ध अभियुक्त नरेश कुमार न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि वह गरीब है तथा उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियोजन कथानक में वर्णित घटना अनुसार शारीरिक संबंध स्थापित करके बलात्कार/लैंगिक प्रवेशन हमला किया गया है। अतः उसे कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके बलात्कार/लैंगिक प्रवेशन हमले का अपराध किया गया है। धारा 42 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत वर्णित कोई अपराध एवं भा0दं0सं0 की धारा 376 व उक्त प्रावधान में अन्य वर्णित धाराओं के अन्तर्गत भी दण्डनीय होने की दशा में दोषी अभियुक्त को पाक्सो एक्ट या भा0दं0सं0 में से ऐसे प्रावधान के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा जिसमें अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान होगा। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त नरेश कुमार को धारा 376(1) भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डित किया जाना उचित होगा। तदनुसार मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा कारित अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा उभय पक्षों के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्त नरेश कुमार को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किये जाना न्यायोचित पाया जाता है जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

दंडादेश

अभियुक्त नरेश कुमार को धारा 376(1) भा0दं0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के लिये दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से एवं बीस हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छः (6) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त नरेश कुमार को धारा 363 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के लिये पांच वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन (3) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी।

अभियुक्त की सभी सजायें साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त का सजायावी वारंट उपरोक्तानुसार अविलम्ब तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जाये। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनॉकः 29.05.2026

(दिनेश तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
बदायूँ
(I.D No.–U.P.6188)

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनॉकः 29.05.2026

(दिनेश तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
बदायूँ
(I.D No.–U.P.6188)

Digitally signed by Dinesh Tiwari
Date: 2026.05.29 16:03:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court